

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकांशी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

राजनिवार बनाम लक्ष्मीबाई

करण संख्या:- 19/2024

क्र.सं.	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/8/14	<p>पत्रावली के अन्तर्गत वकील लक्ष्मीबाई बाई लक्ष्मीबाई की वरदा हस्तगत स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है। अतः अज्ञात हेतु अज्ञात जाति की वरदा लक्ष्मीबाई व पत्रावली की गुण प्रस्ताविकात आवलीगत करने पर वकील को से केवल बाद पर स्वीकार किया जाता है विस्तृत विवरण प्रमाण से स्वीकार किया जाता है पत्रावली किताब का पत्रावली के अन्तर्गत अज्ञात हेतु अज्ञात का से वरदा तमिल अज्ञात हेतु अज्ञात</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	<p>स्वीकार हेतु अज्ञात नहीं है के अज्ञात</p>

